RCMS - 2018/...

7/1/19
28/1/19
11/3/19

फार्म नम्बर III फर्द अहकाम (नियम 25) 2018/00096

न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्री गंगानगर

राज्य जरिय हरिराम वर्मा खा0सु0अधि0 बनाम मै0 श्याम प्रोविजन स्टोर, 6 बी 10 जवाहरनगर, नजदीक टैम्पू स्टेण्ड, जिला श्रीगंगानगर

किरम मुकदमा खा0 सु0 प्रकरण संख्या 37 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
07.05.2018	राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्व एफ.एफ.एस.ए. 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लधंन एवं धारा 51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्व एफ.एफ.एस.ए. 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लधंन एवं धारा 51 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अभियुक्त को तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 21.05.2018 को पेश हो।	10/1/15
21.5.18	प्रकरण अपराधी को पुनः नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजा। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 5/6/18 को पेश हो।	
5/6/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर / प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 13/6/18 को पेश हो।	
13/6/18	प्रकरण अपराधी को पुनः नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजा। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 21/6/18 को पेश हो।	
21/6/18	प्रकरण अपराधी को पुनः तलब कर पत्रावली दि. 28/6/18 को पेश हो।	
28/6/18	प्रकरण अपराधी को पुनः तलब कर पत्रावली दिनांक 2/7/18 को पेश हो।	
2/7/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर / प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 16/7/18 को पेश हो।	तामील 16.7.18

30.10.24 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22.11.24 को पेश हो।

22.11.2024 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी को वर्ष 2018 से जरिये नोटिस क्रमांक 1051 दिनांक 10.05.2018 तलब किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दुकान बन्द हो चुकी है रिपोर्ट प्राप्त हुई। नोटिस क्रमांक 1658 दिनांक 17.07.2018 पर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भूप कॉलोनी गली नम्बर 02 उक्त नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता रिपोर्ट प्राप्त हुई। नोटिस क्रमांक 134 दिनांक 19.01.2024 पर रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर उक्त व्यक्ति घर पर उपस्थित नहीं मिला व दुकान बंद हो चुकी है रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से पत्र क्रमांकः 1236 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अप्रार्थी का सही पता पेश करने हेतू रिपोर्ट चाही गई जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर उनके पत्रांक 835 दिनांक 15.08.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी,**"खाद्य विभाग के रिकॉर्ड व दस्तावेज में स्थाई पता मकान नम्बर 226 गली नम्बर 02, भूप कॉलोनी दर्ज है, पुछताछ करने पर व वार्ड पार्षद नम्बर 55, भूप कॉलोनी के प्रमाण पत्र के अनुसार वर्तमान में श्री संदीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल अरोड़ा के नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है। खाद्य विभाग के रिकॉर्ड व दस्तावेज और ऑनलाईन खाद्य लाईसेंस साईज FOSCOS, FSSAI का संघन अध्ययन किया और उक्त नाम की दुकान का खाद्य रजि. दिनांक 23.02.2017 से 22.02.2018 तक 01 वर्ष था और उसके बाद परिवादी श्री संदीप कुमार और उक्त नाम की दुकान का खाद्य रजि0/साद्य लाईसैंस व दस्तावेज नहीं पाये गये।"** रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी/अप्रार्थी वर्तमान में दिये गये पते पर निवास नहीं करता है ना ही उक्त प्रकरण में दिये गये खाद्य लाईसैंस भी वर्तमान में कार्यरत है। अतः प्रकरण प्रार्थी के दिये गये पते पर निवास नहीं करने एवं खाद्य लाईसैंस वर्तमान में कार्यरत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी अगर पुनः खाद्य कारोबार करता पाया जाता है तो उक्त प्रकरण को पुनः रिस्टोर करवाकर कार्यवाही करने स्वतन्त्र रहेगे। निर्णय की प्रति सम्बन्धित विभाग को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर